राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 3911/2024

शिप्रा त्रिपाठी —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़।
4. मनीषा मीणा, अध्यापिका, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, भैसरोडगढ़, चित्तौडगढ़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.12.2024
आदेश की दिनांक : 17.01.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री महिपाल खर्रा, अति. स्थाई अधिवक्ता

समक्षः— विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा—4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक—3) को चुनौती दे रही है जिसके द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया, जिसमें अपीलार्थी को संविदा कर्मचारी के चयन के कारण अधिशेष बनाया गया, जिसमें अपीलार्थी को नाम क्रम संख्या 26 पर रखा गया था। एक संविदा कर्मचारी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनुचित लाभ देने के लिए अपीलार्थी को अवैध रूप से अधिशेष घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 14.11.2024 द्वारा सहायक अध्यापकों (संविदा शिक्षकों) को, अपीलार्थी जो नियमित कर्मचारी है, की तरह

अधिशेष घोषित करके उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। अपीलार्थी को वर्ष 2022 में सीधी भर्ती के तहत अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 गणित/विज्ञान के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, झालरबावड़ी, भैसरोड़गढ़ नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी वर्तमान में वहीं पदस्थापित है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को भी आदेश दिनांक 27.07.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, झालरबावड़ी, भैसरोड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 के पद पर अनुबंध के आधार पर सहायक अध्यापक लेवल 2 गणित/विज्ञान के रूप में अपीलार्थी के विद्यालय में पदस्थापित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग रिक्त पद की उपलब्धता के बिना प्रत्यर्थी संख्या 4 को अवैध समायोजन के माध्यम से अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित किया गया है क्योंकि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, झालरबावड़ी, भैसरोड़गढ में अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 गणित/विज्ञान का केवल एक पद स्वीकृत है, जहां अपीलार्थी पहले से ही कार्य कर रही है। सहायक अध्यापकों को केवल एक वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी को नियमित पद से नियमित वेतन मिल रहा है क्योंकि वह स्वीकृत पद पर कार्य कर रही है और वह अधिशेष कर्मचारी नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 06.12.2024 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने नियमित उम्मीदवारों को अधिशेष घोषित करके कार्यव्यवस्था के आधार पर सहायक शिक्षकों (संविदा शिक्षकों) को पदस्थापित के निर्देश जारी किए थे और इस मामले में भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि वह अधिशेष कार्मिकों के संबंध में आदेश दिनांक 14.11.2024 द्वारा जारी निर्देशों की आड़ में अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से परिवर्तन न करें। साथ ही अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, झालरबावड़ी, भैसरोड़गढ़ में अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 अंग्रेजी के पद पर नियमित वेतन और अन्य पारिणामिक लाभ दिया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी कार्मिक द्वारा उक्त विद्यालय में दिनांक 15.7.2022 को कार्यभार ग्रहण किया गया तथा अपीलार्थी वर्ष 2022 से लगातार उक्त विद्यालय में

कार्यरत है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के द्वारा महात्मा गांधी विद्यालयों हेतु कैडर विदईन कैडर (Cadre within cadre) का निर्माण किया गया है। इस अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभाग में पूर्व से हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का साक्षात्कार/विशेष चयन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाकर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन किया जाता है तथा अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के नियम संख्या 14(6) के अनुसार इन्हें अंग्रेजी माध्यम से अन्य विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जा सकता है तथा चयन अवधि पूर्ण होने अथवा अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी पर इन चयनित कार्मिकों को पुनः अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से आवश्यकता अनुसार पुनः हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित किया जा सकता है। अपीलार्थी को प्रशासनिक आवश्कतानुसार समान ब्लॉक में ही स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय में पदस्थापित किया गया है तथा अपीलार्थी कार्मिक को अधिशेष वर्णित करते हुए अपीलार्थी के स्वीकृत पद एवं विषय के अनुसार ही छात्रहित/राज्य हित में पदस्थापित किया गया है, जिससे दोहरे पदस्थापन की स्थिति की समाप्त किया जाकर उपलब्ध मानव संसाधनों का उचित उपयोग राज्यहित में किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को संविदा कर्मचारी के चयन के कारण अनुलग्नक–1 द्वारा अधिशेष घोषित किया गया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट कि अपीलार्थी का चयन विधिवत प्रक्रिया से महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय में हुआ है। इस विद्यालय में वर्ष 2022 से कार्यरत है। अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि उसे संविदा कर्मी की नियुक्ति किए जाने के आधार पर अधिशेष घोषित कर स्थानान्तरण किया गया है, जो वैधानिक रूप से सही नहीं है। क्योंकि एक संविदा कर्मचारी के नियुक्ति के आधार पर

नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों को अधिशेष घोषित नहीं किया जा सकता है।

7. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–3), जिसमें अपीलार्थी को संविदा कर्मी की नियुक्ति के आधार पर अधिशेष कर स्थानान्तरण किया गया है, को अपीलार्थी की हद तक अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का नियमानुसार नये सिरे से स्थानान्तरण/पदस्थापन करने के लिए स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष